



प्रेस नोट 01- दिनांक 10.05.2024 थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 10.05.2024 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मो0 आलम पुत्र अली हसन निवासी उमेदराय बाजार कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष को नहर पुलिया हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण -

मो0 आलम पुत्र अली हसन निवासी उमेदराय बाजार कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय

का0 गिरीश कुमार





प्रेस नोट 02- दिनांक 10.05.2024
थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

महिला व बच्ची की हत्या कर शव फेंकने वाले दो अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, मृतका की चप्पल, मृतका का तोड़ा हुआ मोबाइल, घटना में प्रयोग की गई कार बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 07.05.2024 को थाना क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे मिले महिला व बच्ची के शव की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाली एक अभियुक्ता व दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, मृतका की चप्पल, मृतका का तोड़ा हुआ मोबाइल, घटना में प्रयोग की गई कार बरामद कर गिरफ्तार किया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.05.2024 को थाना हसनगंज को सूचना प्राप्त हुई कि आगरा लखनऊ-एक्सप्रेस वे के ताला सराय से सौदापुर सर्विस रोड के किनारे एक अज्ञात महिला व एक अज्ञात बच्ची का शव मिला था, जिनकी शिनाख्त रोशनी तिवारी पत्नी छोटे तिवारी उम्र करीब 27 वर्ष व मृतका की पुत्री दुर्गा उर्फ दिव्या उम्र करीब 04 वर्ष नि0गण काशीराम कोलोनी थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी के रूप में हुई। मृतका रोशनी उपरोक्त की शादी छोटे पुत्र रामदत्त नि0 मन्डैरा चौकी सिकन्दराबाद थाना नीमगाँव लखीमपुर खीरी के साथ लगभग 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था तथा उससे उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्गा उर्फ दिव्या था। पति के परेशान करने के कारण रोशनी अपनी बच्ची के साथ लखनऊ में रहने लगी, जहां रोशनी का संपर्क मिलिन्द कुमार उर्फ मोनू पुत्र अशोक कुमार के पास न्यू पारा कालोनी स्वर्णिम स्कूल के पास सम्राट टाटा चक्की थाना पारा जनपद लखनऊ से हुआ तथा दोनो में मित्रता हो गई। मिलिन्द ने रोशनी को अपने घर के पास 300 मीटर की दूरी पर रहने के लिए कमरा दिलाया था जहाँ पर मृतका अपनी पुत्री दिव्या के साथ रह रही थी। मिलिन्द मृतका रोशनी तथा उसकी पुत्री दिव्या उर्फ दुर्गा का देखरेख व सम्पूर्ण खर्च उठाता था । मिलिन्द व रोशनी के बीच बढ़ती नजदीकियों से मिलिन्द की पत्नी ज्योति उर्फ बबली उम्र करीब 33 वर्ष के द्वारा योजना के तहत अपने पति की गाड़ी इको स्पोर्ट गाड़ी नं0-UP32HK 8540 लेकर बिना अपने पति को बताये तथा अपने नौकर कल्लू मौर्या उर्फ विमलेश मौर्या पुत्र जगतपाल मौर्या नि0 पारागाँव थाना पारा जनपद लखनऊ ,ड्राइवर प्रिंस मसीह पुत्र प्रेम मसीह नि0 नई बिहारपुर

एलडीए कालोनी लखनऊ तथा गांव का रहने वाला निरंकार शर्मा उर्फ रिकू पुत्र हरीप्रसाद शर्मा नि0 पारा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ (जो कि पूर्व में मिलिन्द के भट्टे पर काम करता था) को साथ लेकर रोशनी के पास मोनू के फोन से मोनू के हार्ट अटैक आने की बात बताकर साथ में अस्पताल चलने की बात कही । इस बात पर मृतका अपनी पुत्री दिव्या के साथ लेकर मोनू की गाड़ी नं0-UP32HK 8540 से अभियुक्ता ज्योति उर्फ बबली, ड्राइवर प्रिंस मसीह, निरंकार शर्मा के साथ चल दिये रास्ते मे आगरा एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन पर पहुँचने पर योजना बनाकर अभियुक्ता, कल्लू अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रोशनी के गले मे पहने गये हुए डुपट्टे से गला घोट कर तथा उसकी पुत्री दिव्या की गला दबाकर हत्या कर दी तथा दोनो की लाश को आगरा एक्सप्रेस के सर्विस लेन के पास एकान्त स्थान पर फेंक कर भाग गये । मृतका के पास मिले ज्वैलर्स के यहां से खरीदी गयी पर्स के आधार पर थाना हसनगंज पुलिस, स्वाट टीम उन्नाव व सर्विलांस टीम के अथक प्रयास से घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 10.05.2024 को अभिगण 1-श्रीमती ज्योति उर्फ बबली पत्नी मिलिन्द उर्फ मोनू नि0 न्यू पारा कालोनी स्वर्णिम स्कूल के पास सम्राट आटा चक्की थाना पारा लखनऊ उम्र 34 वर्ष 2- निरंकार शर्मा उर्फ रिकू पुत्र हरीप्रसाद शर्मा नि0 पारा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ 3- प्रिंस मसीह पुत्र प्रेम मसीह नि0 नई बिहारपुर एलडीए कालोनी लखनऊ उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0-106/24 धारा 302/201/34 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा शेष वांछित अभियुक्त कल्लू मौर्या उर्फ विमलेश मौर्या की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. ज्योति उर्फ बबली पत्नी मिलिन्द उर्फ मोनू नि0 न्यू पारा कालोनी स्वर्णिम स्कूल के पास सम्राट आटा चक्की थाना पारा लखनऊ उम्र 34 वर्ष ।
2. निरंकार शर्मा उर्फ रिकू पुत्र हरीप्रसाद शर्मा नि0 पारा राजाजीपुरम थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र 34 वर्ष ।
3. प्रिंस मसीह पुत्र प्रेम मसीह नि0 नई बिहारपुर एलडीए कालोनी लखनऊ उम्र 33 वर्ष ।

बशमदगी का विवरण-

- 1-गला घोटने वाला मृतका का डुपट्टा
- 2-मृतका के एक पैर का चप्पल
- 3-मृतका का तोड़ा गया मोबाइल,
- 4-घटना में प्रयुक्त इको स्पोर्ट कार नं0- UP32HK 8540,
- 5-ज्वैलर्स के पास से खरीदी गयी पर्स व नगदी 957/रू0
- 6-घर के चाभी का गुच्छा ।

गिरफ्तार करने वाली थाना हसनगंज पुलिस टीम

- 1-प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 2-व0उ0नि0 श्री दिलीप कुमार प्रजापति थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 3.उ0नि0 श्री अनिल कुमार शर्मा थाना हसनगंज,उन्नाव ।
- 4.हे0का0 मृत्युजय प्रसाद थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 5.का0 शाहेआलम थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 6.म0का0 ज्योति धाकरे थाना हसनगंज उन्नाव ।

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम

- 1-निरी0 श्री शरद कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
- 2-हे0का0 सतेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
- 3-हे0का0 आशीष कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
- 4-हे0का0 सुनील कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
- 5- हे0का0 राधेश्याम सर्विलांस टीम जनपद उन्नाव ।
- 6-का0 रवि कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
- 7-का0 विकास कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।

